

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2016

निम्बा पुत्र लालू जाति भाम्बी आयु बालिग पेशा कृषि निवासी शेरगढ तहसील मसूदा जिला
अजमेर।प्रार्थी

विरुद्ध

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर

.....विपक्ष

आवेदन अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत्
इंद्राज दुरुस्ती

आदेश

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 3199 रक्बा 16 बीघा उसकी क्रयशुदा भूमि मौके पर उंचाई पर होकर कंकरिली है जहां पानी का भराव नहीं है जमाबंदी में इसकी किस्म आबी 3 अंकित है जबकि बारानी बंजर होनी चाहिए। जिसकी दुरुस्ती भू0 अभिलेख अधिकारी धारा 136 LR के तहत कर सकेगा। ऐसे ही निर्देश राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 F 12(183)(रेव)/बी/56 दिनांक 17.09.1956 तथा परिपत्र दिनांक 7.12.1964 से दिये गये हैं। अतः न्यायहित में दुरुस्ती करवाने की कृपा करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया है कि प्रश्नगत ख0 न0 3199 रक्बा 21 बीघा साबिक ख0 न0 2064 रक्बा 46-05-00 बीघा से बना है जिसमें 3199/1 रक्बा 5 बीघा में मोती वल्द रामदेव तथा 16 बीघा में प्रार्थीखोतदार है। ख0 न0 2064 की किस्म सन् 1359 फसली में नाकाबिल काश्त मद (ब) पेटा जैर आब दर्ज है तभी से यह भूमि आबी है। जिसकी किस्म तब्दिल करने के अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है कृपया RRD 1980 पेज 315 (HC) एवं CDR 2008 (1) राज HC पेज 123 का अवलोकन करावे अतः प्रश्नगतः भूमि की किस्म तब्दिल किया जाना उचित नहीं है।

मैने बहस उभयपक्षान सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन कर प्रकरण में ध्यान पूर्वक मनन करने पर पाया कि प्रश्नगत भूमि की सिंचाई का साधन कोई तालाब न021 है इसलिए यह कोई लिपिकीय त्रुटि न होकर अभिलेख आरंम्भ से प्रश्नगत भूमि की किस्म आबी चली आती है जिस बाबत् माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी विस्तार से दिशा निर्देश पारित किये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं बनता।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से सव्यय निरस्त किया जाता है
आदेश आज दिनांक 15.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

